संख्या-33/2020/57/26-3-2020-100(114)/99टी0सी0

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

2-राज्य मद्य निषेध अधिकारी,
उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 24 फरवरी 2020

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अनुदान संख्या-80 की योजना ड्रग की मांग घटाने के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना (एन0ए0पी0डी0डी0आर0)हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-873/स0क0/ए0एस0ए0पी0/रा0पा0ला0यो0/सम्भावित बचत/2019-20, दिनांक-26.11.2019 एवं राज्य मद्य निषेध अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-3314पी0पी0/26-25-2019, दिनांक-11.12.2019 का कृपया सन्दभ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-105- नशाबन्दी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-ड्रग की मांग घटाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एन0ए0पी0डी0डी0आर0)(के.100/रा-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0-225.00 लाख (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-104-वृद्ध अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण-05-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-0502-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22 मार्च 2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-105-नशाबन्दी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-ड्रग की मांग घटाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एन0ए0पी0डी0डी0आर0) (के.100/रा.के.) -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,
सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ0संख्या-33/2020/57/26-3-2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी0एम0–9 (भाग–1)
पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80– (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2019–20 (रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–104वृद्ध अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण–05–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम–0502–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना– 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	45000.00	19656.60	225.00	225.00	44775.00
	45000.00	19656.60	225.00	225.00	44775.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमणहेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–105–नशाबन्दी–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0101–ड्रग की माग घटाने हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (एन0ए0पी0डी0डी0आर0) (के.100/रा–के0)– 20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00
	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों से बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:– योजना/अधिष्ठान के कियान्वयन किये जाने के कारण।
(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–369/दस–2019 दिनांक 12 फरवरी 2020

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(सतीश कुमार)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग।

केशव प्रसाद
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग।
हा0

so bm 9

page 280

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या–33/2020/57 (1)/26–3–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन।
6– राज्य योजना आयोग अनु0–1/2, उ0प्र0 शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सतीश कुमार)
अनु सचिव।

so bm 9

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।